पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–01/2013 100 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक–25/01/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण मद की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2012–13 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना को विभागीय राज्यादेश सं०– 88, दिनांक– 12.03.2013 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र आवंटित किया जा चुका था। योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना (डूडा–2) द्वारा कराया जाना था। चूँकि योजना को वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा योजना का कार्यारम्भ नहीं हुआ था, इसलिए पटना नगर निगम, पटना द्वारा उक्त योजना के लिए आवंटित राशि को कोषागार में जमा कराते हुए लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन कराया जा चुका है, जिसकी सूचना पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक– 8044, दिनांक– 22.08.2017 द्वारा विभाग को दी गई है।

2. कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, डूडा–2 के पत्रांक– 1075, दिनांक– 31.08.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के निविदोपरांत एकरारनामा कर लिया गया है। साथ ही योजना के कार्यान्वयन हेतु पुनः राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध एवं जल जमाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए विभागीय राज्यादेश सं०– 99 दिनांक– 25/01/18 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन के लिए स्तम्भ– 4 में अंकित एकरारनामा की राशि के अनुरूप स्तम्भ– 5 में अंकित कुल ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	एकरारानामा की राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	नगर निगम, पटना	इन्द्रपुरी, सिपारा से हिन्द नगर होते हुए प्रगति नगर तक जोड़ने वाली सड़क में भू–गर्भ नाला का निर्माण कार्य।	62.52331	62.52331

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र।

4. आवंटित कुल ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना (डूडा–2) को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. आवंटित राशि ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2215021910102**, विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यो का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना (डूडा–2) द्वारा किया जाएगा।**

(ii) संबधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.1.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–01/2013 100 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–23/01/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना (डूडा–2)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.18

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब०/ना०नि०–02–01/2013 99 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 25/01/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण मद की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2012–13 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना को विभागीय राज्यादेश सं०– 88, दिनांक– 12.03.2013 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹80.00 लाख (अस्सी लाख रु०) मात्र आवंटित किया जा चुका था। योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना (डूडा–2) द्वारा कराया जाना था। चूँकि योजना को वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा योजना का कार्यारम्भ नहीं हुआ था, इसलिए पटना नगर निगम, पटना द्वारा उक्त योजना के लिए आवंटित राशि को कोषागार में जमा कराते हुए लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन कराया जा चुका है, जिसकी सूचना पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक– 8044, दिनांक– 22.08.2017 द्वारा विभाग को दी गई है।

2. कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, डूडा–2 के पत्रांक– 1075, दिनांक– 31.08.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के निविदोपरांत एकरारनामा कर लिया गया है। साथ ही योजना के कार्यान्वयन हेतु पुनः राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध एवं जल जमाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन के लिए स्तम्भ– 4 में अंकित एकरारनामा की राशि के अनुरूप स्तम्भ– 5 में अंकित कुल ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	एकरारानामा की राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	नगर निगम, पटना	इन्द्रपुरी, सिपारा से हिन्द नगर होते हुए प्रगति नगर तक जोड़ने वाली सड़क में भू–गर्भ नाला का निर्माण कार्य।	62.52331	62.52331

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. स्वीकृत कुल ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना (डूडा–2) को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि ₹62.52331 लाख (बासठ लाख बावन हजार तीन सौ एकतीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2215021910102**, विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार/पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती हैः—

(i) **योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना (डूडा—2) द्वारा किया जाएगा।**

(ii) संबधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय—समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई—टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—2ब०/ना०नि०—02—01/2013 के पृष्ठ सं०— ...128.../टि० पर दिनांक— ...17-01-18... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०— ...128.../टि० पर दिनांक— ...18-01-18... को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.1.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक—2ब०/ना०नि०—02—01/2013 99 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक—25/01/18

प्रतिलिपिः— प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना (डूडा—2)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.18

सरकार के विशेष सचिव।